


08.11.2023:-पत्रावली आज वादी सख्या 1 से 6 कि ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल भाभू द्वारा प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया जो शामिल किया गया। वादीया जरिये अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण मे पक्षकारान का राजिनामा हो गया। इस कारण वादीगण अपना वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज करवाना चाहते है। वादीगण अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन फर्द अहकाम पर वादीगण सख्या 1 से 6 के अगुठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादीगण कि पहचान वादीगण अधिवक्ता श्री देवीलाल भाभू द्वारा कि गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादीगण का वादपत्र मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद खारबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

श्री
वादी
सर्व
Mam
Raj
12